# हरियाणा सरकार
## अनुसूचित जातियॉ एव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा
## (शैक्षणिक संस्थाओं/विद्यार्थियों के ध्यानार्थ )

विभाग द्वारा पूर्व में दिनांक 19.12.2018 को विज्ञापन देकर केन्द्रीय प्रायोजित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, विमुक्त, घुमन्तू तथा अर्ध–घुमन्तू जातियों एवं अन्य पिछडे वर्ग के पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में पढने वाले सभी विद्यार्थी जिनके माता–पिता/अभिभावकों की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय अनुसूचित जाति के छात्रों हेतू 2.50 लाख रुपये, विमुक्त, घुमन्तू तथा अर्ध–घुमन्तू जातियों के (इस बारे अलग से प्रमाण–पत्र संलग्न करने पर) छात्रों हेतू 2.00 लाख रुपये एवं अन्य पिछडे वर्ग के छात्रों हेतू 1.50 लाख रुपये से अधिक न हो, को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। घुमन्तू/अर्ध–घुमन्तू तथा टपरीवास जातियो में से जो अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति की श्रेणी में शामिल नही हैं उन्हें भी छात्रवृति प्रदान करने हेतू समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर दिनांक 15.02.2019 तक आवेदन पत्र मांगे गए थे। आवेदन करने से पूर्व छात्र जिस संस्था में पढ रहा है उसका विभागीय पोर्टल **(http://www.hryscbcschemes.in)** पर रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन हेतू 15.01.2019 निर्धारित की गई थी।

काफी संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन शेष रहने के कारण छात्र आवेदन नही कर पा रहे। छात्रों की परेशानियों को मध्यनजर रखते हुए **संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन हेतू अन्तिम तिथि 07.02.2019 तक बढ़ाई जाती है।** अतः सभी संस्थानों जो रजिस्ट्रेशन नही कर पाई थी उनसे अनुरोध है कि दिनांक 07.02.2019 तक विभागीय पोर्टल **http://www.hryscbcschemes.in** पर अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाए। किसी भी प्रकार असुविधा की स्थिति में निदेशालय में स्थित हैल्प लाईन नं0 0172–2707009 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

(डा0 प्रवीण कुमार, आई.ए.एस)
महानिदेशक,
अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण विभाग
हरियाणा, 30 बेज बिल्डिंग, सै0–17, चण्डीगढ़।